कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14,भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaji Cama Place, New Delhi -110066

सं: क.भ.नि.सं./मुख्यालय/विविध/2022-23/341 दिनांक: 06 JUL 2023

सेवा में,

अपर केंद्रीय भविष्य आयुक्त (मुख्या.)/
अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त, आंचलिक कार्यालय
"ख" एवं "ग" क्षेत्रों में स्थित कार्यालय

विषय: 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में राजभाषा विभाग के अ.शा. पत्र सं. 14013/04/2022-रा.भा.(नीति) दिनांक 26/05/2023 की प्रति (संलग्न) आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है । आपसे अनुरोध है कि संलग्न पत्र के माध्यम से यथा निर्देशित आपके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समेकित अनुपालन रिपोर्ट **25.07.2023** तक अवश्य उपलब्ध कराई जाए ताकि मंत्रालय को स्थिति से यथाशीघ्र अवगत कराया जा सके ।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें ।

भवदीया,

संलग्न: यथोपरि

(वीणा रानी यादव)
निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त (एन.डी.सी.) - वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

अनुस्मारक-II

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

अ.शा. पत्र सं. 14013/04/2022-रा.भा.(नीति)

दिनांक: 26.05.2023

आदरणीय महोदया / महोदय,

कृपया राजभाषा विभाग के समसंख्यक अ.शा. पत्रांक दिनांक 01.12.2022 एवं 09.05.2022 और समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.06.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से हिंदीतर भाषी क्षेत्रों अर्थात 'ख' एवं 'ग' भाषा –क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

2. आपके ध्यान में लाना है कि आपके मंत्रालय/विभाग से समेकित अनुपालन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गई है।

3. अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त के संबंध में अपने मंत्रालय/विभाग की अनुपालन रिपोर्ट मंत्रालय/विभाग स्तर पर समेकित करके राजभाषा विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

शुभेच्छु,

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन/राजभाषा प्रभारी)
(संलग्न सूची के अनुसार)

31 MAY 2023

अ.शा.पत्र स.14013/04/2022-राजभाषा(नीति)

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

07 DEC 2022
दिनांक 01.12.2022

आदरणीय महोदय/महोदया,

कृपया राजभाषा विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.06.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें। उक्त कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से हिंदीतर भाषी क्षेत्रों अर्थात 'ख' एवं 'ग' भाषा-क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

2. आपके ध्यान में लाना है कि आपके मंत्रालय/विभाग से अनुपालन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

3. आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त के संबंध में अपने मंत्रालय/विभाग की अनुपालन रिपोर्ट मंत्रालय/विभाग स्तर पर समेकित करके राजभाषा विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

शुभेच्छु,

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन/राजभाषा प्रभारी)
(संलग्न सूची के अनुसार)

07 DEC 22
MHA (NC)
हस्ताक्षर/Sign.......
डा० सं०

File No. 14013/04/2022-रा.भा.(नाता) (Computer No. 5218)

264/2022

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

13

दिनांक 05.09.2022

कृपया राजभाषा विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.06.2022 का अवलोकन करें (प्रतिलिपि संलग्न)।

2. राजभाषा विभाग द्वारा हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में बोर्डों, नामपट्टों आदि से संबंधित त्रि-भाषा के दिशा-निर्देश पुनः परिचालित किए गए हैं और सभी मंत्रालयों/विभागों से उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को अवगत कराने हेतु भी अनुरोध किया गया था लेकिन वांछित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

3. इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 05.04.2022 को राज्य सभा में शून्य काल के दौरान माननीय सांसद श्री सुखेन्दु शेखर राय द्वारा उठाए गए मुद्दे और माननीय उप राष्ट्रपति द्वारा दिये गए आश्वासन के आलोक में जारी किया गया था।

4. आपके मंत्रालय/विभाग से उक्त सूचना अभी प्रतीक्षित है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि व्यक्तिगत रुचि लेते हुए कृपया राजभाषा विभाग को यह सूचना हर हाल में 09.09.2022 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि समयनुसार आश्वासन की पूर्ति की जा सके।

शुभेच्छु

मीनाक्षी जौली

(डॉ० मीनाक्षी जौली)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)।

Generated from eOffice by Sri Krishna Jee Pandey, JTO(Policy) SKJP, JUNIOR TRANSLATION OFFICER, Department of Official Language on 12/05/2023 12:5

14013/04/2022-रा०भा०(नीति)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

चौथा तल, एनडीसीसी-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 01
दिनांक 21.06.2022
22 JUN 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिंदीतर भाषी क्षेत्रो में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के बारे में।

राजभाषा विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग नियमानुसार नहीं किया जा रहा है | इस मामले को माननीय सांसद द्वारा संसद में भी उठाया गया है

2. इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा उपर्युक्त विषय के संबंध जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन सं० 1/14013/5/76-रा०भा०(क-1) दिनांक 18.06.1977 का संदर्भ लें (प्रतिलिपि संलग्न)। इस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में बोर्डो, नामपट्टों आदि में क्रमवार क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे इन दिशा निर्देशों को समय-समय पर कार्यालय ज्ञापन सं० 1/14013/03/2010-रा.भा.(नीति-1) दिनांक 01.07.2010, का० ज्ञा० सं० 14013/07/2010-रा.भा.(नीति) दिनांक 07.04.2011 और का० ज्ञ० सं० 14013/07/2010-रा.भा.(नीति) दिनांक 28.04.2017 के द्वारा परिचालित भी किए गए हैं।

3. अतएव, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन दिशा निर्देशों का हिंदीतर भाषी राज्यों में स्थित अपने सभी कार्यालयों (संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों नियंत्रणाधीन/ स्वामित्व वाली कंपनियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित) द्वारा किए जा रहे अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को 09.07.2022 तक अवगत करवा दें।

संलग्नक : यथोक्त

मीनाक्षी जौली

(डॉ० मीनाक्षी जौली)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23438130

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशा.)

संख्या 1/14013/03/2010-रा०भा० (नीति-1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक: 01-07-2010

CENTRAL REGISTRY
Dy. No.
14 JUL 2010
PRI SEC. LNB

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय - हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता द्वारा इस्तेमाल में लाये जाने वाले फार्मों आदि तथा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग।

राजभाषा विभाग द्वारा उपरोक्त विषय के संबंध में जारी किये गये निम्न कार्यालय ज्ञापनों की प्रति सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है :

i. स्थानीय कार्यालयों द्वारा स्थानीय जनता की सुविधा के लिए उनके इस्तेमाल में आने वाले मनीआर्डर फार्म तथा इसी प्रकार के अन्य फार्म हिंदी, अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा (यदि वह हिंदी के अलावा हो), में छापे जाने के संबंध में जारी किये गये दिनांक 25.3.1968 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/9/65-रा.भा.

ii. हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों और कार्यालयों के नामों के बोर्ड तथा उनके द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले नोटिस बोर्ड, नामपट्ट आदि में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी का प्रयोग करने संबंधी जारी किये गये दिनांक 18.6.1977 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14013/05/76-रा.भा.(क-1)

iii. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के नामपट्टों को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करने के संबंध में जारी किये गये दिनांक 26.2.1986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14013/2/86-रा.भा.(क-1)

2. महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजभाषा विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि महाराष्ट्र स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालय इन अनुदेशों का पूरा पालन नहीं कर रहे

हैं । अतः सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन निदेशों का अनुपालन महाराष्ट्र राज्य स्थित अपने सभी कार्यालयों (सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, नियंत्रणाधीन/स्वामित्व वाली कंपनियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित) से कराना सुनिश्चित कराएं ।

(डी0के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन देख रहे संयुक्त सचिव या उच्च स्तर के अधिकारी

प्रति:

अर्धशासकीय पत्र सं.Mabhava-1010/ICR-48/20-B दिनांक 19.3.2010 के संदर्भ में मुख्य सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई-400032, महाराष्ट्र

(डी0के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं.14013/07/2010-रा.भा.(नीति-I)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

1/23

(8

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग,'बी' विंग,चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

कार्यालय ज्ञापन

04 MAY 2017

विषय:- हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों , नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन्हें इन राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है।

कृपया उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013-07-2010-रा.भा.(नीति-I) दिनांक 07.04.2011 का अवलोकन करें।

2. राजभाषा विभाग ने भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों के दृष्टिगत दिनांक 07.04.2011 को कार्यालय ज्ञापन जारी किए थे। संबंधित कार्यालय ज्ञापन की प्रतिलिपि सूचना एवं उचित कार्रवाई हेतु संलग्न है।

स्टेला

(स्टेला खाखा)

अवर सचिव(नीति)

के.सी. सामरिया

प्रभारी आयुक्त

आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक(मुख्यालय)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय,

11 जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड,

नई दिल्ली-110001

प्रतिलिपि:-

1. (क) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को -इन अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों की एक प्रति अपने सभी अधीनस्थ/संबद्ध कर्यालयों, अपने मंत्रालयों के नियंत्राणाधीन स्वायत्त निकायों, उपक्रमों तथा पर्याप्त लोक-संपर्क रखने वाले संगठनों यथा रेलवे, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड आदि में तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिचालित करें।

(ख) सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय) को इन अनुरोध के साथ कि वे इन अनुदेशों को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कम्पनियों तथा उक्त राज्यों में वित्तीय सेवाएं देने वाले अन्य संगठनों के अध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों को तत्काल परिचालित करवायें।

2. क्षेत्र 'क' के सभी राज्यों यथा बिहार, छत्तीसगढ़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सचिवों(राजभाषा) तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को।

3. अध्यक्ष, (उक्त राज्यों में स्थित) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां।

4. रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को रेलवे स्टेशनों पर नाम-पट्टों, साइन-बोर्डों पर प्रयोग होने वाली भाषा/भाषाओं से संबंधित उनके दिनांक 08.11.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या हिंदी 2010/रा.भा.1/8/5 तथा उसके बाद के पत्राचार के संदर्भ में।

5. श्री ओंकार केडिया, एडीजी, मीडिया एवं कम्यूनिकेशन, गृह मंत्रालय

6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को इन निदेश के साथ कि उक्त निदेशों को राजभाषा विभाग की वेब-साइट पर 'नया क्या है' तथा 'महत्वपूर्ण सूचनाएं' शीर्षकों के अंतर्गत अप-लोड करवायें।

प्रति सूचनार्थ तथा इस निर्देश के साथ कि इस सूचना का विस्तारण नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से एवं अन्य प्रचार माध्यमों से कराया जाएं:-

1. सर्वकार्यभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(08),
2. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वों तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली।
3. निदेशक, केंद्रीय, अनुवाद ब्यूरो, 8वां तल, पर्यावरण भवन, बी-ब्लॉक सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली।

क्र-ई-6(जा)

संख्या I/14013/07/2010-रा.भा.(नीति-1)

जारी किया
ISSUED
13 APR 2011
हस्ताक्षर/Intls. ......
प्रा० तथा प्रे०/R&I/LNB

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

लोकनायक भवन, खान मार्किट,

नई दिल्ली, दिनांक : 07 अप्रैल, 2011

13 APR 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषयः-हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं का प्रयोग, जिन्हें इन राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

हिंदी भाषी राज्यों अर्थात् 'क' क्षेत्र में स्थित राज्यों (जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी है) में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त उन भाषाओं, जो कि शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग हेतु प्राधिकृत है, के प्रयोग संबंधी प्रकरण पर सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखकर गंभीरता से विचार किया गया है ।

2. इन राज्यों में रहने वाली आम जनता की सुविधा, और समाज के विशाल वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा उपक्रम बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों पर, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त, उन भाषाओं, जो राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत की गयी हैं, में सूचना/सामग्री लिखेंगे/मुद्रित करेंगे/पेंट करेंगे/उत्कीर्ण करेंगे/उकेरेंगे। सभी भाषाओं के शब्दों का आकार समान होगा ।

3. बोर्ड, साइन बोर्ड, नाम पट्ट और दिशा-संकेतक सर्वप्रथम हिंदी में लिखे/उकेरे जाएंगे अथवा मुद्रित/पेंट/उत्कीर्ण किए जायेंगे । राज्यों की राजभाषाओं, तथा अंग्रेजी भाषा का क्रम संबंधित विभाग या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

4. हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात् 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित राज्यों में बोर्डों, साइन बोर्डों, नाम पट्टों और दिशा-संकेतकों के लिए दिनांक 18.06.1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या I/14013/5/76-रा.भा.(क-1) में निहित निर्देश, जिनके अनुसार क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में प्रयोग की जानी है, यथावत् रहेंगे ।

5. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

राकेश कुमार

(राकेश कुमार)

निदेशक (तकनीकी/नीति)